

# न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोदकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 39/2023

जीसीएमएस संख्या 2023/114

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नानजीराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया तह. सांचौर जिला जालोर।		1. टीकमाराम पुत्र प्रभाजी जाति कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर 2. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीगण अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्‍नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एकपक्षीय।

—:निर्णय:—

दिनांक:-18.02.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 05.09.2023 को मौजा डूंगरा का गोलिया, पटवार हल्का सांचौर, तहसील सांचौर के खाता सं. 70 खेत खसरा नम्बर 3991/413 रकबा 1.5167 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी सं. 01 के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2024/277 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भूअ./2025/503 दिनांक 03.02.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। वादी अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।



(म)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे 0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे 0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नानजीराम पुत्र प्रभाजी जाति कलबी सा. देह खातेदार	3991 / 413	1.5161	0.18	चाही सोयम	हरा	1.80
				1.12	जाव सोयम		3.36
		1		1.30			5.16
2.	नानजी पुत्र जेठाराम जाति कलबी सा. देह खातेदार	3991 / 413	0.2167	0.03	चाही सोयम	हरा	0.30
				0.1867	जाव सोयम		0.56
		कुल	2		0.2167		

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
सांचौर जिला-जालौर

निर्णय आज दिनांक 18/02/25 से सरे इजलाज सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
सांचौर जिला-जालौर  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

# डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नानजीराम पुत्र जेठाराम जाति कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया तह. सांचौर जिला जालोर।		1. टीकमाराम पुत्र प्रभाजी जाति कलबी निवासी डूंगरा का गोलिया तहसील सांचौर जिला जालोर 2. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 51/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री धवलचंद विश्‍नोई उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रे श में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नानजीराम पुत्र प्रभाजी जाति कलबी सा. देह खातेदार	3991 /413	1.5161	0.18	चाही सोयम	हरा	1.80
				1.12	जाव सोयम		3.36
				<b>1.30</b>			<b>5.16</b>
2.	नानजी पुत्र जेठाराम जाति कलबी सा. देह खातेदार	3991 /413	0.2167	0.03	चाही सोयम	हरा	0.30
				0.1867	जाव सोयम		0.56
				<b>0.2167</b>			<b>0.86</b>
	कुल	2					

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

(प्रमोदकुमार)

सहायक कलेक्टर सांचौर जिला-जालोर  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(राजस्वपत्र अधिकारी, सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमी नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	6	00	मौजाना	0	00

(प्रमोदकुमार)

(प्रमोदकुमार)

सहायक कलेक्टर सांचौर

जिला-जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर

(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)